

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 03.11.2022

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल - 23 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

03 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोंडा के थाना उमरीबेगमगंज पुलिस ने 02, थाना खोड़ारे पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 03.11.2022

चोरी की योजना बनाते 07 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 अदद देशी तमंचा व कारतूस, 06 अदद टार्च, 02 अदद लोहे का सब्बल, 01 अदद लोहा काटने का ब्लेड, 01 अदद पिलास, 02 अदद चाभी का गुच्छा व चोरी का 7100/- रूपये नकद बरामद-

पुलिस अधीक्षक गोंडा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत शातिर/वांछित अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे। जिसके क्रम में थाना को0देहात व एस0ओ0जी0 की सयुक्त टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है।

आज दिनांक 03.11.2022 को थाना को0देहात व एस0ओ0जी0 की सयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर चोरी की योजना बनाते 07 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 01. रोहित के कब्जे से 01 अदद स्टील का टार्च, 01 अदद देशी तमंचा 12 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस व 1100/-रूपये बरामद, 02. नीरज पाण्डेय के कब्जे से 01 अदद तमंचा 12 बोर मय कारतूस, 01 अदद टार्च व 1250/- रूपये बरामद, 03. सुधीर सिंह के कब्जे से लोहे का सब्बल व 01 अदद चाभी का गुच्छा व 700/-रूपये बरामद, 04. सूरज सिंह के कब्जे से एक अदद टार्च प्लास्टिक, 01 अदद चाभी का गुच्छा व 700/-रूपये बरामद, 05. विजय सोनी के कब्जे से 01 अदद टार्च, 01 अदद सब्बल व 1000/- रूपये बरामद, 06. छोटू उर्फ विकास सिंह के कब्जे से 01 अदद टार्च, 01 अदद पिलास व 850/- रूपय बरामद, 07. अजय सोनी के कब्जे से 01 अदद लोहा काटने वाली ब्लेड व 1300/- रूपये बरामद हुआ। पूछताछ पर अभियुक्तों ने बताया की 31.10.2022-01.11.2022 की रात्रि में ग्राम नेवारी के 04 घरों में हम लोगो ने मिलकर नगदी व जेवरात की चोरी किया था। चोरी से प्राप्त जेवरात व रूपये को आपस में बाट लिया था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. रोहित सिंह पुत्र रणजीत सिंह निवासी नेवारी, मल्थुआ साहजोत थाना को0 देहात गोण्डा
02. नीरज पाण्डेय पुत्र पारसनाथ पाण्डेय निवासी मधईपारा विचलपुर थाना वजीरगंज गोण्डा
03. सुधीर सिंह पुत्र जय प्रकाश सिंह निवासी पेरा कोयली विरान थाना को0 देहात गोण्डा
04. सूरज सिंह पुत्र अरविन्द सिंह निवासी पीतलसिंह पुरवा कोयलीजंगल थाना को0 देहात गोण्डा।
05. विजय सोनी पुत्र रविन्द्र सोनी निवासी बलेश्वरगंज बाजार थाना वजीरगंज गोण्डा ।
06. छोटू उर्फ विकास सिंह पुत्र पवन कुमार सिंह निवासी नेवारी मल्थुआ साहजोत थाना को0 देहात गोण्डा।
07. अजय सोनी पुत्र रविन्द्र सोनी निवासी बलेश्वरगंज बाजार थाना वजीरगंज गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0 515/2022 धारा 457/380 भादवि0 थाना कोतवाली देहात, जनपद - गोण्डा
02. मु0अ0सं0 517/2022 धारा 401 भादवि0 थाना कोतवाली देहात जनपद - गोण्डा

03. मु0अ0सं0 518/2022 धारा 3/25 भादवि0 थाना कोतवाली देहात जनपद - गोण्डा
04. मु0अ0सं0 519/2022 धारा 3/25 भादवि0 थाना कोतवाली देहात जनपद – गोण्डा

बरामदगी-

01. 02 अदद देशी तमंचा व कारतूस,
02. 06 अदद टार्च, 02 अदद लोहे का सब्बल,
03. 01 अदद लोहा काटने का ब्लेड,
04. 01 अदद पिलास,
05. 02 अदद चाभी का गुच्छा व
06. चोरी का 7100/- रूपये नकद

गिरफ्तारकर्ता टीम

01. प्रभारी एसओजी संतोष कुमार सिंह मय टीम जनपद गोण्डा।
02. उ0नि0 सर्वजीत गुप्ता चौकी प्रभारी दर्जीकुआ मय टीम जनपद गोण्डा।

सराहनीय कार्य

प्रेस नोट

मीडिया सेल, जनपद गोण्डा

दिनांक 03.11.2022

अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान जितेन्द्र प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर उसके कब्जे 550 ग्राम अवैध गाँजा (अवैध मादक पदार्थ) बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. जितेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र स्व0 लल्लन सिंह निवासी बौढिहा थाना –तरबगंज, जनपद- गोंडा

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-782/2022, धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 550 ग्राम अवैध गाँजा (अवैध मादक पदार्थ) बरामद

गिरफ्तार कर्ता-

उ0नि0 जितेन्द्र कुमार मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 03.11.2022

अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान हरि गिरि को गिरफ्तार कर उसके कब्जे 550 ग्राम अवैध गाँजा (अवैध मादक पदार्थ) बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर में एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. हरि गिरि पुत्र शोक्ते गिरी निवासी ग्राम सलेरा थाना नरयावली जनपद सागर मध्यप्रदेश, हालमुकाम - ग्राम भटवलिया समय माता का मंदिर थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-784/2022, धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 550 ग्राम अवैध गाँजा (अवैध मादक पदार्थ) बरामद

गिरफ्तार कर्ता-

उ0नि0 रणजीत यादव मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 03.11.2022

बहन की हत्या करने के आरोपी अभियुक्त को मात्र 06 घण्टे के अन्दर किया गिरफ्तार,

आलाकत्ल बरामद:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे। जिसके क्रम में थाना कटराबाजार पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कटराबाजार पुलिस ने मु0अ0सं0-457/22, धारा 302 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त कलीम को मुखवीर खास की सूचना पर घटना के मात्र 06 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने अपनी बहन की प्रेम प्रसंग की आशंका होने पर बांके से प्रहार कर हत्या कर दी थी। जिसके सम्बन्ध में मृतका की माँ द्वारा थाना कटराबाजार में अभियोग पंजीकृत कराया था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. कलीम पुत्र स्व0 बाबू उर्फ सलीम नि0 ग्राम दामोदरपुर मौजा नरायनपुर कला थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0-457/22, धारा 302 भादवि थाना कटराबाजार जनपद- गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम:-

प्रभारी निरीक्षक चितवन कुमार मय टीम।